सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00025

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी डा. गुजन सोनी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 20/2017

1. पतराम पुत्र श्री अलसीराम जाति नायक साकिन राणूंका तहसील वा जिला श्रीगंगानगर (राज0) मृतक।
   - 1.1 जमनादेवी पत्नी पतराम जाति नायक साकिन राणुका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 1.2 भवंरलाल पुत्र पतराम जाति नायक साकिन राणुका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 1.3 कृष्णादेवी पुत्री पतराम जाति नायक साकिन राणुका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 1.4 लालचन्द पुत्र पतराम जाति नायक साकिन राणुका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 1.5 रामलाल पसुत्र पतराम जाति नायक साकिन राणुका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. सुगनाराम पुत्र श्री खेमाराम जाति नायक साकिन दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार श्रीगंगानगर दिनांक 24.01.2017 जिसकी रूह से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया गया बमुराद मन्सूख है।

उपस्थित :

1.श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता अपीलार्थी

2.श्री मोहन लाल छाबडा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या–1

:: आदेश :: दिनांक :– 27.10.2020

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि आदेश अदालत मातहत का गैर कानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित करना कि रकबा भारत सरकार कस्टोडियन विभाग की भूमि है। डीपीसी एण्ड आर एक्ट रिलिप होने के बाद राज्य सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया कि भारत सरकार की भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में कस्टोडियन दर्ज है उसमें राजस्थान सरकार नाम दर्ज किया जावें। इसलिए अब यह भूमि राजस्थान सरकार के अधीन है। जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित करना कि गैरखातेदारी भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता। इससे यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त भूमि पर अवैध कब्जा है जो अपीलांट पाने का हकदार है लेकिन अदालत मातहत ने इस पर गौर ना करके कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा यह कहना कि गैरसायल ईकरारनामा के आधार पर काबिज है जो कि सरासर गलत है क्योंकि ईकरारनामा पूर्व में समाप्त हो चुका है उस पर रेस्पोडेन्टान का कोई अधिकार व हित इस भूमि पर नहीं है बल्कि वह इस भूमि पर नाजायज रूप से काबिज था लेकिन अदालत मातहत ने इस पर गौर ना करके कानूनी भूल की है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया कि सिविल न्यायालय में कार्यवाही की जावे जो सरासर गलत है यह मामला राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन आता है। इसलिए अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है। लिहाजा अपील स्वीकार की जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.01.2017 निरस्त किया जाकर जमीन का कब्जा अपीलांट को दिलाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा सीविल कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया था जो वर्ष 1979 में मेरे हक में हो गया। दिनांक 04.02.1985 को मेरे नाम रजिस्ट्री बैयनामा हो गया था। रकबा गैरखातेदारी होने के कारण मेरे नाम से सनद नही बन सकी। मैने वर्ष 2000 में एक ईकरारनामा अप्रार्थीगण सुगनलाल के हक में किया जो कि दिनांक 19.04.2001 को बकाया राशि 66,000/– रूपये देने थे जो मुझे नहीं दिये। जिस पर मेरे द्वारा एक नोटिस दिया गया अगर आप 10 दिन में रूपये दे दो अगर नहीं दिये तो ईकरारनामा निरस्त समझा जावेगा। ईकरारनामा निरस्त होने से रेस्पोडेन्ट का कब्जा अवैद्य हो गया। राजस्व रिकॉर्ड में रकबा आज दिनांक को लेखराज –हीरालाल पिसरान लाधूराम जाति नायक सा0 देहखातेदार पुख्ता आलाटी गैरखातेदार कस्टोडियन विभाग के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है। मौके पर बेचान जरिये ईकरारनामे से ईकरारनामें द्वारा किया गया हैजो अनुसूचित जाति से अनुसूचित के व्यक्ति को किया गया है। डीपीसी एण्ड आर एक्ट रिलिप होने के बाद राज्य सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि भारत सरकार की भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में कस्टोडियन दर्ज है वहां राजस्थान सरकार नाम दर्ज किया जावें। इसलिए यह भूमि अब राजस्थान सरकार के अधीन है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया कि सीविल न्यायालय में कार्यवाही की जावे जो गलत है यह मामला राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन आता है। इसलिए अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है। लिहाजा अपील स्वीकार की जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.01.2017 निरस्त किया जाकर जमीन का कब्जा अपीलांट को दिलाया जावें।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि 183 बी का प्रकरण पेश करने से पूर्व अपीलांट को सीविल कोर्ट में वाद पेश कर ईकरारनामा को अवैद्य घोषित करवाना चाहिए। अपीलांट द्वारा दिये गये नोटिस के बाद मैने पैसे देकर नया ईकरारनामा लिखवा लिया था जिसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई गई।

अति. जिला कलक्टर (राजस्थान)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन–रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर यदि कोई खरीददार उस वादग्रस्त आराजी के कब्जे में आ जाता है और स्वीकृत रूप से दावे के दिन भी काबिज था तो उसे अतिक्रमी नहीं कहा जा सकता है और कानूनन उसे कब्जे को ही प्रोटेक्ट कर सकता है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई :–

1. आर.आर.डी. 1996 पेज– 350 से 355
2. आर.आर.डी. 1997 पेज– 319 से 320

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि विवादित भूमि चक 5 डी बडी के मुरब्बा नम्बर 02 के किला नम्बर 11/05 बिस्वा, 12 ता 14 सालम व 16 का 15 बिस्वा कुल 4.00 बीघा रकबा अपीलार्थी पतराम के नाम कोर्ट के आदेश से हुए बैयनामा दिनांक 04.02.1985 का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं हुआ है जिसका तात्पर्य है कि अभी उसे कोई कानूनी हक व अधिकार सम्बन्धित अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं हुए है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 24.01.2017 में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सुगनाराम पुत्र खेमाराम जाति नायक जरिये ईकरारनामा काबिज बताया गया है। अन–रजिस्टर्ड ईकरारनामा से किसी को कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं मिलते है एवं ना ही पतराम के बैयनामा का अभी तक कोई नियमन हुआ है। इसलिए अपीलार्थी की अपील रिमाण्ड योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.01.2017 निरस्त किया जाता है और निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय इस बात की जांच करें कि अन–रजिस्टर्ड ईकरारनामा से सुगनाराम को कोई अधिकार प्राप्त होते है या नहीं और यह भी जांच की जावें कि पतराम के नाम गैरखातेदार के रूप में किया गया बेचान मान्यता प्राप्त है या नहीं ? क्या इस बैयनामें से प्रार्थी व अप्रार्थी कोई कानूनी राहत/अधिकार प्राप्त होते है या नहीं ? विस्तृत जांच की जाकर निर्णय किया जावें। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. गुंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner